संख्या- 20 / 2017/ 2465 / चार-2016-226 (वि0)/12 टीसी

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 08 मार्च ,2017

विषय:- जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह /आडिटोरियम के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2065/सं0नि-6(43)/2012-13 (खण्ड-2) , दिनांक 11 नवम्बर, 2016 तथा शासन के पत्र संख्या- 39/2016/वीआईपी-01/चार-2016-226(वि0)/2012 टीसी दिनांक 24 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह / आडिटोरियम के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 2525.84 लाख पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार कर कार्य की लागत रू0 2314.27 लाख मूल्यांकित की गयी है। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह / आडिटोरियम के निर्माण हेतु धनराशि रू0 2314.27 लाख की प्रशासकीय तथा प्रथम चरण में धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्नुक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यांश के माध्यम से रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष केन्द्रांश की प्रत्याशा में प्राविधानित बजट का 25 प्रतिशत धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

2- उक्त शासनादेश संख्या- 39/2016/वीआईपी-01/चार-2016-226(वि0)/2012 टीसी दिनांक 24 फरवरी, 2016 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

3 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें -0104-मथुरा वृन्दावन के मध्य आडिटोरियम का निर्माण (के0 60/रा0 40-रा0) -24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

संख्या - 20 / 2017 / 2465 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- महा प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, गोमती नगर, लखनऊ ।
5- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-17, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, मथुरा।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।